6307

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

569093

(03) मोहकमपुर

14 MAY 2008

मुजफ्फरनगर

MTK 5481 18/8/09

282

Kinit Bansal

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार	:–	कृषि भूमि
वार्ड / परगना	:–	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला / ग्राम	:–	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर)	:–	खसरा नम्बर 58
मापन की इकाई	:–	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:–	0.1870 हैक्टेयर
सडक की स्थिति	:–	बाईपास

मधु शर्मा

Kinit Bansal

(4) 37500 —

रु0.....धनराशि रू0.....

स्टाम्प खरीदार .....श्री .....मै0 सीताराम बिन्दल

पुत्र श्री..... निवासी.....

दिनांक.....वास्ते 39 सुधरासीटी ए0 नगर हरिद्वार

15/5/08 विनीत बंसल

कोषाधिकारी

कोषागार, मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 385689

(03) मोहालीपुर

12 MAY 2008

मुख्य कार्यालय

सम्पत्ति का प्रकार :–	कृषि
पेडों का मूल्यांकनः–	नही है
बोरिग / कुआ / अन्यः–	नहीं है
सहकारी आवास समिति के सदस्यं से सम्बन्धित है:–	नहीं है
प्रतिफल की धनराशिः–	5,24,000 / –रूपये
मालियतः–	5,23,600 / –रूपये
निर्धारित दरः–	16,00,000 / –रूपये प्रति है0 का 75 प्रतिशत अधिक यानि 28,00,000 / –रूपये प्रति है0
स्टाम्प शुल्कः–	52,500 / –रूपये
किस्म जमीनः–	अव्वल आबी

मधु शर्मा

Vinit Bansal

(4) 37500

दिनांक 15/5/08

524,000.00/	**524,000.00**	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती मधु शर्मा

पुत्र / पत्नी श्री अनिल कुमर शर्मा

पेशा गृहिणी

निवासी स्थायी 27 स्टैट बैंक कालोनी मु0नगर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/5/2008 समय 1:35PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
29/5/2008

मधु शर्मा

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती मधु शर्मा
पुत्र/पत्नी श्री अनिल कुमर शर्मा
पेशा गृहिणी
निवासी 27 स्टैट बैंक कालोनी मु0नगर

श्री/श्रीमती सीता राम बिन्डर्स द्वारा विनीत बंसल
पुत्र/पत्नी श्री परमेश्वर दयाल
पेशा व्यापार
निवासी 39 सुथाराशाही मु0नगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री **सुबेदीन**

पुत्र श्री **नत्थु**

पेशा **कृषि**

निवासी **शेर नगर मु0नगर**

व श्री **अनिल कुमार शर्मा**

पुत्र श्री **सत्य प्रकाश शर्मा**

पेशा **व्यापार**

निवासी **27 स्टैट बैंक कालोनी मु0नगर**

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
29/5/2008

मधु शर्मा

Vinit Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 336124

3 MAY 2008

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (3)

विक्रेता का विवरण

1:– श्रीमति मधु शर्मा पुत्र श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी 27, स्टेट बैक कालोनी मुजफ्फरनगर।

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

1– **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर व्यवसायः– व्यापार PAN- ABIFS 7034 H

मधु शर्मा

Vinit Bansal

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

23 स्टाम्प विक्रय की तिथि 17-5-08
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता श्री सीताराम बिन्दल
S/o सुन्दरशाही मुजफ्फरनगर
स्टाम्प की धनराशि 5000
S/o विनीत बन्सल
5000 × 3 = 15000-00

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

विक्रेता

Registration No.: 6307 Year : 2008 Book No. : 1

मधु शर्मा

अनिल कुमर शर्मा

27 स्टैट बैंक कालोनी मु0नगर

गृहिणी

NG

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 336203

(03) कोषाध्यक्ष

14 MAY 2008

हम कि **श्रीमति मधु शर्मा** पुत्र श्री अनिल कुमार शर्मा निवासी 27, स्टेट बैक कालोनी मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित की मालिक व काबिज द्वारा संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि

मधु शर्मा Vinit Bansal

24 स्टाम्प विक्रय की तिथि 12-5-08
स्टाम्प की धनराशि .....
क्रमिक नम्बर ..... 23 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)

क्रेता

Registration No. : 6307 Year : 2008 Book No. : 1

1 सीता राम बिल्डर्स द्वारा विनीत बंसल
परमेश्वर दयाल
39 सुथाराशाही मु0नगर
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 336204

(03) मुजफ्फरनगर

14 MAY 2008

मुजफ्फरनगर

तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन **पांच लाख चौबीस हजार रूपये (5,24,000/–रूपये)** निस्फ जिसके अंकन दो लाख बासठ हजार रूपये (2,62,000/–रूपये) होते है बदस्त **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य नकद पेश्तर प्राप्त कर लिये है इस प्रकार अब कोई पैसा बाकी नही रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष

Vinit Bansal

मदन शर्मा

2- स्टाम्प विक्रय की तिथि 17-5-08
स्टाम्प की धनराशि 5000/-
क्रमांक नम्बर 23 किया गया।

वरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

वरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 910318

या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वंय या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। विक्रीत भूमि बाईपास पर स्थित है। विक्रीत भाग भूमि में कोई पेड,

मधु शर्मा

Vinit Bansal

(9) 32500 -

15/5/68

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 910319

ट्यूबवेल बोरिंग नही है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 5,23,600/– रूपये होती है, लेकिन विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन **5,24,000/–रूपये** में हैं। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नही है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नही हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह **विक्रय पत्र** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **शेरनगर** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः– जो कि कृषि भूमि **खसरा नम्बर 58 रकबई 0.7480 है0**, का कुल हक व हिस्सा 1/4 भाग किस्म जमीन

मधु शर्मा

Vinit Bansal

(4) 37520 -

क्र.----------अनावधि क्र.----

दिनांक----------

15/5/08

कोषागार, बुलन्दशहर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

15 MAY 2008

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 286610

जंगल अव्वल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

मधु शर्मा

Vinit Bansal

साक्षी ----------

Sd. सुन्दीर

साक्षी

S/o श्री सत्यप्रकाश शर्मा

27 स्टेट बैंक कालोनी

मु० नगर

तहरीर ता0:–17–05–2008 ई0

ड्राफ्ट कर्ता–विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

(4) 37120

15/5/08

कोषागार, मुजफ्फरपुर

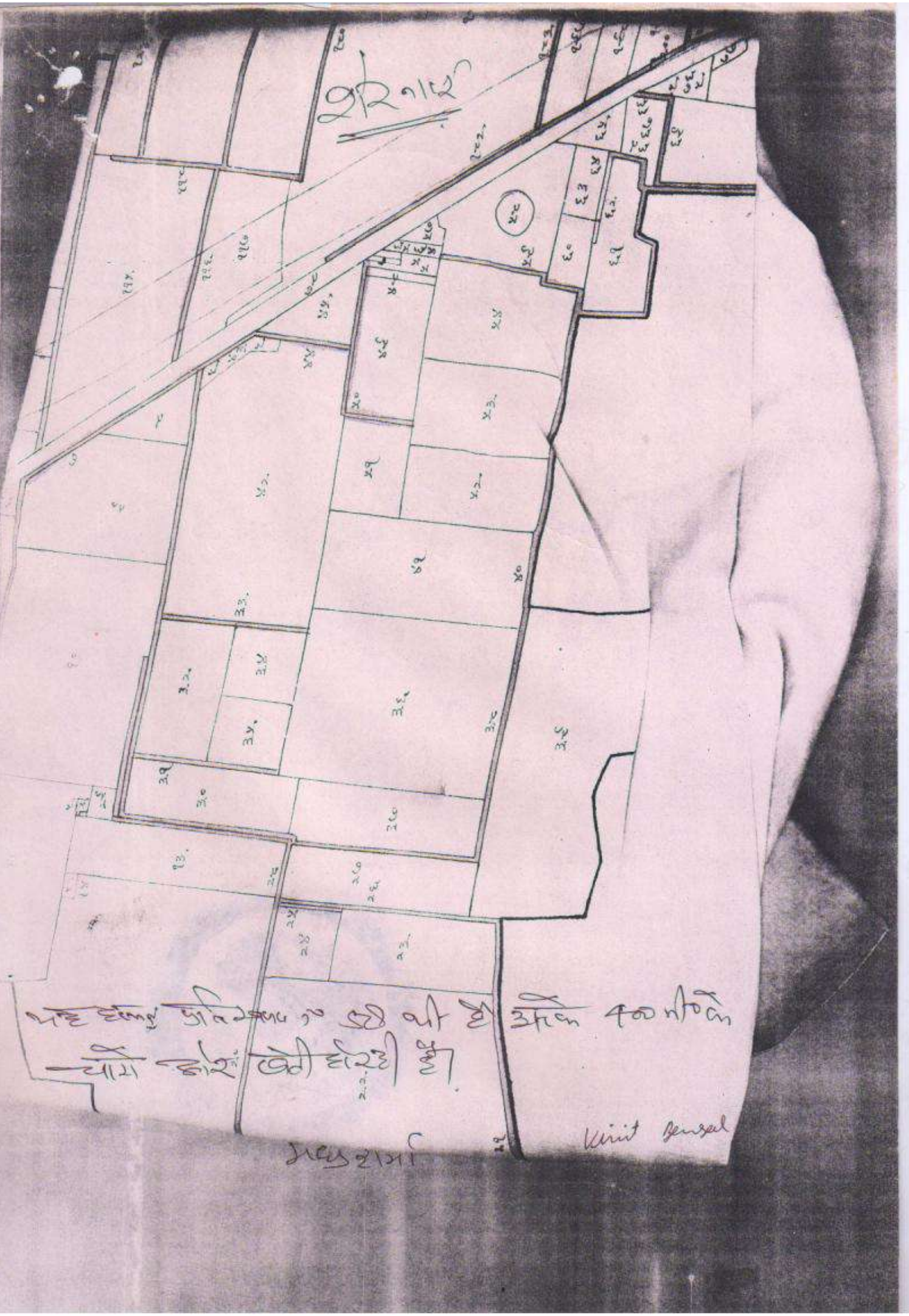
Kirit Bansal

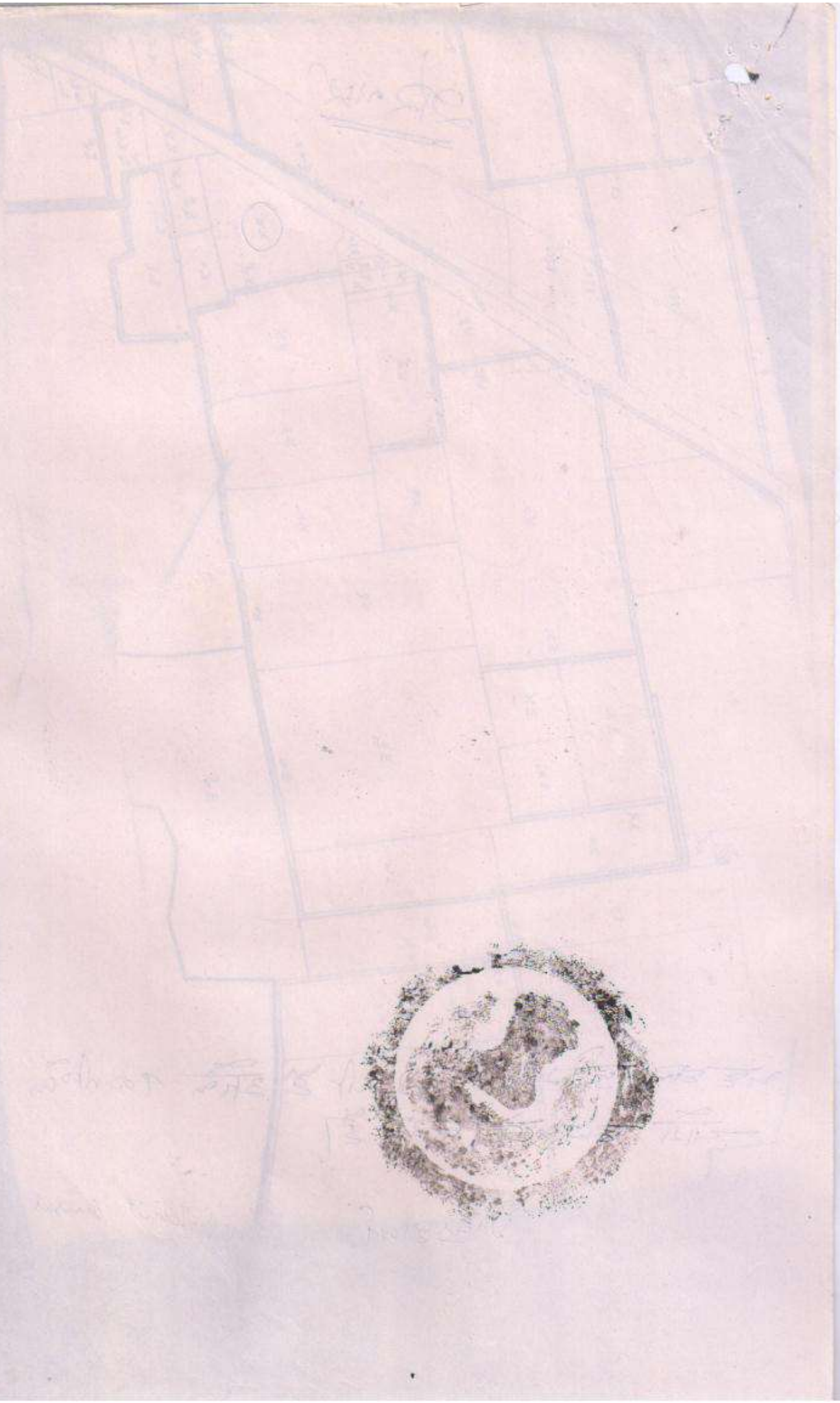

पक्षकार का नाम ..... श्रीमती मधु शर्मा .....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम ..... विनीत कुमार .....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम .....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम .....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					

आज दिनांक **29/05/2008** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **4230**

पृष्ठ सं. **133** से **152** पर कमांक **6307**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अशोक कटारिया

29/5/2008

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : शेरनगर परगना : (सदर) तहसील : सदर जनपद : मुजफ्फर नगर फसली वर्ष : 1425-1430 भाग : 1 खाता संख्या : 00930

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।			
हरेन्द्र सिह / भरपुर सिह / सिलाजुड्डी सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही / . / . द्वारा पार्टनर / . / . विनीत बंसलपुत्र परमेश्वर / . / . दयाल बंसल नि. 39 सुथराशाही / . / . मु0नगर / . / . परमजीत कौर / स्व. सुरेन्द्र सिंह / नि. सिलाजुड्डी रणजीत सिंह / सुरेन्द्र सिंह / नि. सिलाजुड्डी गुरजीत कौर / पुत्री सुरेन्द्र सिंह / नि. सिलाजुड्डी	58	0.7480	1426फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 428/T201809550105558 दिनांक 08-12-2018 को आदेश हुआ कि खाता सं० 930 के खसरा नं० 58/0.7480 हे० लगान 37.00 रू० के भागांश से अर्थात कुल विक्रीत भूमि का क्षे० 0.0363 हे० से विक्रेता हरेन्द्र सिह पुत्र भरपुर सिंह नि० ग्राम सिलाजुडडी हाल नि० म०न० 4 गांव झूंदा डा० अमरगढ तहसील मलेर कोटला जिला संगरूर (पंजाब) का नाम खारिज करके क्रेता शिवम पुत्र विरेन्द्र कुमार नि० 464/119 दक्षिणी सिविल लाईन शहर मु०नगर का नाम द्वारा पंजी० विक्रय पत्र सं० 9657 दि० 26-10-18 अंकन 18,00,000 रू0 के आधार पर सं०भू० दर्ज हो । क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे। (4/26/148)ह०र०का० 08-12-18 1426फ० आदेशानुसार नायब तहसीलदार कूकडा द्वारा वाद सं० 429/T201809550105557 दिनांक 08-12-2018 को आदेश हुआ कि खाता सं० 930 के खसरा नं० 58/0.7480 हे० लगान 37.00 रू० के भागांश से अर्थात कुल विक्रीत भूमि का क्षे० 0.0363 हे० से विक्रेता श्रीमती परमजीत कौर पत्नी स्व० सुरेन्द्र सिंह व गुरजीत कौर पुत्री स्व० सुरेन्द्र सिह नि०गण ग्राम सिलाजुडडी हाल नि० म०न० 4 गांव झूंदा डा० अमरगढ तहसील मलेर कोटला जिला संगरूर (पंजाब) का नाम खारिज करके क्रेता श्रीमती संगीता पत्नी विरेन्द्र कुमार नि० 464/119 दक्षिणी सिविल लाईन शहर मु०नगर का नाम द्वारा पंजी० विक्रय पत्र सं० 9658 दि० 26-10-18 अंकन 18,00,000 रू0 के आधार पर सं०भू० दर्ज हो । क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे। (4/27/149)ह०र०का० 08-12-18 1428फ०- आदेशानुसार तहसीलदार सदर मु०नगर द्वारा वाद स० 1099/T202109550101435/15-02-2021 को आदेश हुआ कि ग्राम शेरनगर परगना मुजफ्फरनगर के खाता सं0 930 के खसरा नं0 58/0.7480 हे0 लगान-37.00 रू0 के भागांश से अर्थात कुल विक्रित क्षेत्रफल-0.0398 हे0 से विक्रेतागण हरेन्द्र सिंह पुत्र भरपुर सिंह व रणजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम सिलाजुड्डी परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासीगण ग्राम झुण्डा तहसील मलैर कोटला जिला संगरूर पंजाब का नाम खारिज करके क्रेतागण कर्मवीर सिंह पुत्र यशपाल सिंह निवासी 912/4 सिविल लैाईन दक्षिणी शहर मुजफ्फरनगर व सुधीर कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी 323 फेस-1 सुरेन्द्रनगर जानसठ रोड शहर मुजफ्फरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं0 9845 दिनांक 10.11.2020 अंकन 19,80,000/-रू0 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। क्रेता व विक्रेता सहखातेदार दर्ज रहेगे। (30/103) ह०र०का० 24-02-2021
योग	1	0.7480	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अघतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

नकल द्वारा प्राप्त संख्या 482 आवश्यक
नकल आदेश दि0 1-5-10

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद सं0– 62 /09–10 अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0
मौजा–शेरनगर परगना– मुजफ्फरनगर
श्री सीताराम विल्डर्स बनाम सरकार

आदेश

श्री सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी सुथराशाही मुजफ्फरनगर ने अपनी भूमि स्थित ग्राम शेरनगर तहसील व जिला मु0नगर खसरा नम्बर–34/0–3380है0 व 52/0–6410है0 व 53/0–7520है0 व 54म/0–9250है0 का 1/3 भाग व 58/0–7480है0 का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 20–3–2010 एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनॉक 17–4–2010 प्राप्त हुई। तहसीलदार आख्या के अवलोकन से विदित है कि ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर–34/0–3380है0 व 52/0–6410है0 व 53/0–7520है0 व 54म/0–9250है0 का 1/3 भाग व 58/0–7480है0 का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 पर अभिलेखो में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है, तथा मौके पर प्लाटस की निशानदेही व नीव भरने का कार्य शुरू कर दिया हैं। उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य की संभावना नहीं हैं। उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आख्या के साथ हाल खतौनी, जोत चक0 आकार पत्र 41 व 45 की सत्य प्रतिलिपि तथा नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दिनॉक 17–4–2010 में उल्लिखित किया हैं कि उक्त खसरा नम्बरो का भू–उपयोग मुजफ्फरनगर महायोजना–2021 में आवासीय है एवं आंशिक भू–भाग पर 45 मीटर चौडा महायोजना मार्ग प्रस्तावित हैं। कान्स्टीटयूट कम्पनी के हित में अकृषक घोषित किये जाने में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

मैने पत्रावली एवं उपलब्ध भूअभिलेखो का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है और उक्त भूमि पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखो में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नही हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 एवं तहसील आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। विकास प्राधिकरण को भी इस भूमि के अकृषक घोषित होने में कोई आपत्ति नहीं हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार की आख्या एवं संस्तुति दिनॉक 20–3–2010 एवं विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनॉक 17–4–2010 के आधार पर ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर–34/0–3380है0 व 52/0–6410है0 व 53/0–7520है0 व 54म/0–9250है0 का 1/3 भाग व 58/0–7480है0 का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हों। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। नकल दर्ज कर पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक– 01–05–2010

१–नाम नकल.....
२–नकल कर्ता.....
३–तुलना.....
४–आख्या प्रस्तुत का 8/5/10
५–नकल तैयार का 8/5/10
६–नकल वापसी का 8/5/10
७–उजरत (फीस) 124

(जे0 एस0 मिश्र)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
उप जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर

प्रशासनिक उप जिलाधिकारी सदर, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)